



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पंचम विधान सभा - चतुर्दश सत्र

(दिनांक 20 जुलाई, 2022 से 27 जुलाई 2022 तक)

सत्रावधि में संपादित कार्यों की सांख्यिकीय जानकारी

सत्र की अवधि	08 दिन
बैठकों की संख्या	06
प्रश्नों पर चर्चा	05 घंटे 10 मिनट
प्रथम अनुपूरक	04 घंटे 48 मिनट
बैठकों में लगा कुल समय	37 घंटे 10 मिनट

प्रश्न

सूचनाएं प्राप्त	894
तारांकित प्रश्न	459
अतारांकित प्रश्न	435
ग्राह्य तारांकित	404
ग्राह्य अतारांकित	410
कुल ग्राह्य तारांकित एवं अतारांकित	814
सदन में उत्तरित	51

नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

सूचनाएं प्राप्त	01
चर्चा	01

शासकीय विधेयक

सूचनाएं प्राप्त	13
-----------------	----

सदन में पारित

13 (एक विनियोग विधेयक सहित)

नियम 139 की सूचनाएं

कुल प्राप्त सूचनाएं	01
अग्राह्य	01

विशेषाधिकार भंग की सूचना

प्राप्त सूचनाएं	03
ग्राह्य	निरंक
अग्राह्य	निरंक
विचाराधीन सूचनाएं	03

स्थगन प्रस्ताव

कुल प्राप्त सूचनाएं	89
अग्राह्य	75
ग्राह्य	14(एक विषय)

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

कुल प्राप्त सूचनाएं	252
अग्राह्य	155
ग्राह्य	76
शून्यकाल में परिवर्तित	21

नियम 267-क के अंतर्गत विषय

कुल सूचनाएं	49
ध्यानाकर्षण से परिवर्तित	21
ग्राह्य	28 (3)व्यपगत
अग्राह्य	21

अशासकीय विधेयक

प्राप्त सूचनाएं	01
ग्राह्य	01

अशासकीय संकल्प

स्वीकृत)	प्राप्त सूचनाएं	11	
	ग्राह्य		06 (दो चर्चा उपरान्त)
	अग्राह्य		05

शासकीय संकल्प

प्राप्त सूचना	01
सदन में पारित	01

याचिकाएं

प्राप्त सूचनाएं	89
ग्राह्य	38
अग्राह्य	43
सदन में प्रस्तुत	29
व्यपगत	09
विचाराधीन	08

अधिसूचना का पटल पर रखा जाना

प्राप्त अधिसूचना	03
पटल पर रखे गये	03

वित्तीय कार्य

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन विचार तथा पारण

राज्य के विभिन्न निगम/मंडल/आयोगों के प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना

प्राप्त प्रतिवेदन	14
पटल पर रखे गये	14

विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना

1. कार्यमंत्रणा समिति	01
2. गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा विधेयक संबंधी समिति	01

राज्य के बजट से संबंधित जानकारियों का पटल पर रखा जाना

1. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का छत्तीसगढ़ में चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2022 का प्रतिवेदन क्रमांक-2
3. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक-16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2021-22 बजट की अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा

पुस्तकालय, संदर्भ एवं अनुसंधान सेवा	20 जुलाई से 27 जुलाई, 2022 तक सत्र के दौरान माननीय सदस्यों के द्वारा पुस्तकालय अध्ययन कक्ष में पुस्तकालय संदर्भ साहित्य का अवलोकन / अध्ययन किया गया। माननीय सदस्यों को कुल 519 पृष्ठ का संदर्भ उपलब्ध कराया गया।
छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाइट	छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाइट में दिनांक 20 जुलाई 2022 से 27 जुलाई, 2022 तक सत्रावधि के दौरान वेबसाइट पर सत्र संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई।
छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रवेश	प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा अध्यक्षीय दीर्घा के 130 प्रवेश पत्र जारी किये गये।